



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 509 /SEIAA/

Date: 20/5/22

प्रति,

मेसर्स रामका माइनिंग प्रा. लि.
प्रो. चिरूमामिला मलिकाअर्जुन राव
निवासी मकान न. 40 रामहार नसरुल्लागंज, सिहोर (म.प्र.)

विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/267000/2022 - प्रकरण क्रमांक 7413/2020 - पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन निवासी ई-7/एम - 708 एरेरा कालोनी भोपाल, (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, रकबा 3.0 हे., उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 123/4 ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माइनिंग प्रा. लि. प्रो. चिरूमामिला मलिकाअर्जुन राव निवासी माकान न. 40 रामहार नसरुल्लागंज सिहोर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 723वी बैठक दिनांक 13.05.2022 में विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

SEIAA की 705वी बैठक दिनांक 15.02.2022 में Close किये गये रेत उत्खनन के प्रकरणों को माननीय एनजीटी स्पेशल बेंच के आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में SEIAA द्वारा 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 लिये गये नीतिगत निर्णय के दृष्टिगत प्रकरण को Re-visit/Re-open कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के पैरा-11 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदित दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गयी :-

- (1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में रेत खदान, रकबा रकबा 3.0 हे., उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 123/4 ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन निवासी ई-7/एम - 708 एरेरा कालोनी भोपाल, (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।
- (2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

- I. खनिज अधिकारी जिला धार द्वारा नोटराइज्ड अनापत्ति पत्र द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन निवासी ई-7/एम - 708 एरेरा कालोनी भोपाल, (म.प्र.) के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माइनिंग प्रा. लि. प्रो. चिरूमामिला मलिकाअर्जुन राव निवासी माकान न. 40 रामहार नसरुल्लागंज सिहोर (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।
- II. मेसर्स रामका माइनिंग प्रा. लि. प्रो. चिरूमामिला मलिकाअर्जुन राव निवासी माकान न. 40 रामहार नसरुल्लागंज सिहोर (म.प्र.) द्वारा नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद-विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


- III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 3654/एसईआईएए/2020 दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।
- IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।
- V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना मय वार्षिक पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।
- VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण पत्र क्र. 703 दिनांक 06.05.2022 (लीज अवधि 30.06.2023 तक मान्य) की प्रति।
- VII. जिला खनिज अधिकारी, धार द्वारा SEIAA की 717वीं बैठक दिनांक 08.04.2022 के नीतिगत निर्णय कार्यवाही के बिन्दु क्र. 2.1 से 2.4 एवं 2.6 अनुसार चाही गई प्रमाणित जानकारी पत्र क्र. 719 दिनांक 06.05.2022 के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।
- VIII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार का पत्र क्र. 596 दिनांक 21.04.2022 द्वारा प्रस्तावित खनन क्षेत्र में उपलब्ध रेत की मात्रा के संबंध में स्थल निरीक्षण का मौका पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पत्र क्र 3654/एसईआईएए/2020 दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी ई-7/एम - 708 एरेरा कालोनी, भोपाल, (म.प्र.) के नाम पर रेत खदान, रकबा 3.0 हे., उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 123/4 ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील मनावर जिला धार (म.प्र.) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामका माइनिंग प्रा. लि. प्रो. चिरूमामिला मलिकाअर्जुन राव, निवासी मकान न. 40 रामहार नसरुल्लागंज, सिहोर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ किया जाता है :-

- I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.10.2020 में निहित समस्त शर्तें यथावत रहेंगी एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं नर्मदा नदी पर रेत का उत्खनन स्थानीय श्रमिकों के माध्यम से मैनुअल विधि द्वारा ही करेगा। किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना दिनांक 01.03.2022 में निर्धारित गहराई 0.50 मीटर तक ही रेत खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- V. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 850 घनमीटर प्रतिवर्ष, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 850 घनमीटर एवं प्रस्तावित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 850 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन. जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 850 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं मेजर रोड़ ब्रिज/हाईवे से 01 किलोमीटर तथा रोड़ ब्रिज/स्ट्रक्चर से डाउन स्ट्रीम से 500 मीटर एवं अप स्ट्रीम से 250 मीटर तक नो

माईनिंग जोन के रूप में छोड़ा जायेगा। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा समय-समय पर स्थल निरीक्षण किया जायेगा।

- vii. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.10.2020 में निहित शर्तों अनुसार वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. की गतिविधियों का परिपालन प्रथम वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- ix. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 510
प्रतिलिपि :-

/SEIAA/2022 भोपाल

दिनांक 20/5/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला धार (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीजन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी ई- 7/एम - 708 एरेरा कालोनी, भोपाल, (म.प्र.)
10. खनिज अधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
11. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी